राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः एफ 61(350)लोकपाल/2024/08324/पार्ट4 जयपुर,दिनांकः–हस्ताक्षरित दिनांक

मनरेगा लोकपाल,
जिला समस्त।

विषयः– लोकपाल का पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता, परिवहन भुगतान एवं प्रगति के सम्बंध में अवगत कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.03.2023 (संलग्न) द्वारा जारी गाइडलाईन के क्लॉज 4, 4.1, 4.2, एवं 4.5 में लोकपाल के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में, क्लॉज 6, 6.1 एवं 6.2 में लोकपाल कार्यालय को स्थापित करने एवं प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है तथा क्लॉज 7, 7.1 एवं 7.2 में उनके लिये टी.ए, डी.ए, ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था, कार्यालय व्यय एवं बैठक शुल्क आदि से सम्बंधित है।

इस कार्यालय में यह जानकारी में आया है कि कई जिलों में नियुक्त लोकपाल द्वारा प्रतिमाह की गई बैठक तथा भ्रमण के सम्बंध मे जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, आयुक्त ईजीएस व निदेशक (SSAAT) को रिपोर्ट समय पर प्रेषित नहीं की जाती है, इस कारण लोकपालों को दिए जाने वाले मानदेय व यात्रा भते का भुगतान किए जाने में कठिनाई आ रही है। भारत सरकार की और से जारी उपरोक्त दिशा–निर्देशो मे सीटिंग के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इसमें बैठक का विधिवत रिकोर्ड होने के साथ–साथ किए गए कार्य का उल्लेख भी होना आवश्यक है।

अतः भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी दिशा–निर्देश 20.03.2023 के क्रम में पुनः आपसे अपेक्षा की जाती है कि लोकपाल के रूप में माह विशेष में जिले में की गई सीटिंग कें संबंध में प्रत्येक सीटिंगवार विधिवत रिकोर्ड व किए गए कार्य का विवरण संधारित करें। माह विशेष में प्रतिदिन की गई सीटिंग तथा लोकपाल पद के कर्तव्य निर्वहन हेतु जिले में किए जाने वाली यात्राओं के संबंध यात्रा कार्यक्रम की सूचना जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को समय से पूर्व दी जावे ताकि वाहन सुविधा हेतु उपलब्ध करवाए जाने की कार्यवाही की जा सकें।

माह विशेष में की गई सीटिंग का रिकोर्ड व दस्तावेज आगामी माह की 5 तारीख तक एवं माह विशेष में किए गए भ्रमण के यात्रा भता बिल भी आगामी माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला कलेक्टर व जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करें ताकि लोकपाल को दिए जाने वाले मासिक मानदेय एवं यात्रा भता का समय पर भुगतान हो सकें। यदि किसी जिले विशेष में मानदेय व यात्रा भता भुगतान के संबंध में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.10.09 15:06:03 IST
Reason: Approved

की कोई कठिनाई आती है तो इसके संबंध में आयुक्त ईजीएस एवं निदेशक(SSAAT) को तत्काल अवगत कराया जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(पुष्पा सत्यानी)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि :–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान।
3. निदेशक,सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT) जयपुर।
4. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर समस्त।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.10.09 15:06:03 IST
Reason: Approved